[2018] 9 एससीआर 995

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

बनाम

सी. जी. अजय बाबू और अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 8251)

14 अगस्त, 2018

[कुरियन जोसेफ और संजय किशन कौल, जे. जे.]

उपदान संदाय अधिनियम, 1972: धारा 4 (5) और (6)-सेवा से बर्खास्तगी पर उपदान की ज़ब्ती स्वतः नहीं होती है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972:धारा 4 उप-धारा 5 और 6-उपदान की बरामदगी-अपीलार्थी बैंक में प्रचलित द्विदलीय समझौता-प्रत्यर्थी , अपीलार्थी बैंक का कर्मचारी-अनुशासनात्मक कार्यवाहियां-सेवा से बर्खास्तगी-नैतिक अधमता से जुड़े सिद्ध कदाचार के कारण उपदान की बरामदगी का आदेश-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी उपदान का हकदार था क्योंकि बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था और द्विदलीय समझौते के अनुसार, उपदान की बरामदगी केवल उस मामले में अनुमेय है जिसमें कदाचार के कारण बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ है और केवल उस हद तक-आयोजितःअपीलार्थी-बैंक का यह मामला नहीं था कि प्रत्यर्थी के कदाचार से बैंक को कोई वित्तीय नुकसान हुआ और इसलिए, धारा 4 की उप-धारा (6) का सहारा लेते हुए अपीलार्थी-बैंक द्वारा गलत तरीके से ज़ब्त किया गया।-प्रत्यर्थी-कर्मचारी उपदान का हकदार है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972: धारा 4 (6) (ए) और (बी)-यह नैतिक अधमता वाले व्यक्ति का आचरण नहीं है जो उपदान को जब्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन आचरण या कार्य को नैतिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

अधमता वाले अपराध का गठन करना चाहिए और तदनुसार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना चाहिए-यह नियोक्ता को यह तय करने के लिए नहीं है कि क्या कोई अपराध किया गया है-यह न्यायालय के लिए है-वर्तमान मामले में, कदाचार के लिए प्रतिवादी का कोई दोषसिद्धि नहीं है जो बैंक के अनुसार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है-इसलिए, इस आधार पर उपदान को जब्त करने का कोई औचित्य नहीं है कि उसके खिलाफ साबित हुआ कदाचार नैतिक अधमता वाले कार्यों के बराबर है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972:यह अधिनियम नियोक्ता द्वारा बनाए गए उपदान के भुगतान पर नियमों पर हावी होना चाहिए।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. द्विदलीय समझौता केवल तभी ज़ब्त करने का प्रावधान करता है जब कदाचार के कारण बर्खास्तगी के कारण होने वाला नुकसान भी विवाद में न हो।बैंक के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि प्रतिवादी-कर्मचारी के कदाचार से बैंक को कोई वित्तीय नुकसान हुआ है, और इसलिए, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) का सहारा लेते हुए, ज़ब्ती का सहारा नहीं लिया जा सकता है।इस प्रकार, प्रत्यर्थी-कर्मचारी द्विदलीय समझौते के संरक्षण का हकदार है।[पैरा 15] [1002-ई-एफ]

2. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के उप-खंड (ए) और उप-खंड (बी) विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न परिस्थितियों में काम करते हैं।अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के उप-खंड (ए) के तहत, जब्ती कर्मचारी के कदाचार के कारण हुए नुकसान या नुकसान की सीमा तक है, जबकि उप-खंड (बी) के तहत, पूरी तरह से या आंशिक रूप से पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में जब्ती की अनुमति है।उपखंड (बी) या तो तब संचालित होता है जब समाप्ति कर्मचारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

की ओर से (i) दंगापूर्ण या (ii) अव्यवस्थित या (iii) हिंसा के किसी अन्य कार्य के कारण होती है, और उप-धारा (6) (बी) के उप-खंड (ii) के तहत जब समाप्ति किसी ऐसे कार्य के कारण होती है जो रोजगार के दौरान किए गए नैतिक पतन से जुड़े अपराध का गठन करता है।'अपराध' को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "कोई भी कार्य या चूक जो उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया हो।"[पैरा 16,17] [1003-बी-डी]

3. यह नैतिक अधमता वाले व्यक्ति का आचरण नहीं है जो उपदान को जब्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन आचरण या कार्य नैतिक अधमता वाले अपराध का गठन करना चाहिए।अपराध होने के लिए, इस कार्य को कानून के तहत दंडनीय बनाया जाना चाहिए।यह पूरी तरह से आपराधिक कानून के दायरे में है।यह तय करना बैंक का काम नहीं है कि कोई अपराध किया गया है या नहीं।यह न्यायालय के लिए है।अपीलार्थी-बैंक द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा, बैंक ने न तो प्राथमिकी दर्ज करके या आपराधिक शिकायत दर्ज करके आपराधिक कानून को गति दी है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि बर्खास्तगी का कारण बनने वाला कदाचार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है।अधिनियम की उप-धारा (6) (बी) (ii) के तहत, ग्रेच्युटी को जब्त करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी किसी ऐसे दुराचार के लिए होती है जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करता है और सक्षम न्यायालय द्वारा तदनुसार दोषी ठहराया जाता है।वर्तमान मामले में, कदाचार के लिए प्रतिवादी की कोई दोषसिद्धि नहीं है जो बैंक के अनुसार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है।कानून की आवश्यकता नैतिक अधमता से जुड़े कृत्यों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

के कदाचार का प्रमाण नहीं है, लेकिन कृत्यों को नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करना चाहिए और इस तरह के अपराध को न्यायालय में विधिवत स्थापित किया जाना चाहिए।[पैरा 18,20][1003–ई -एफ; 10044–जी -एच]

4. अधिनियम को नियोक्ता द्वारा बनाए गए उपदान के भुगतान पर नियमों पर हावी होना चाहिए, इसलिए, अपीलार्थी उपदान से इनकार करने के लिए अधिनियम की अनदेखी करते हुए अपने स्वयं के नियमों का सहारा नहीं ले सकता है।[पैरा 21][1005–ए]

बीड जिला केंद्रीय सहकारी समिति बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **(2006) 8 एससीसी 514:[2006] 6पूरक एस. सी. आर. 895;** *वाई. के. सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य* **(2013) 3 एस. सी. सी. 472:[2012] 13 एससीआर 1189;***जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य* **(2007) 1 एस. सी. सी. 663:[2006] 8 पूरक।एससीआर 1064- पर निर्भरता व्यक्त किया।**

विधि व्यवस्था संदर्भित

[2006] 6 पूरक. एस. सी. आर. 895 पैरा 13 पर निर्भरता व्यक्त की।

[2012] 13 एस. सी. आर. 1189 पैरा 14 पर निर्भरता व्यक्त की

[2006] 8 सप्लीमेंट एस. सी. आर. 1064 पैरा 19 पर निर्भरता व्यक्त की।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 8251।

डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 28002/2004 में 2016 की रिट अपील सं. 1795 में केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के निर्णय और आदेश दिनांक 28.10.2016 से।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

ओ. पी. गग्गर, आदित्य गग्गर, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

के. परमेश्वर, एम. वी. मुकुंद, पी. के. मधु, अधिवक्ता, प्रतिवादिओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **कुरियन, जे.** द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत उपदान की जब्ती, सेवा से बर्खास्तगी पर स्वचालित है या नहीं, इस वाद में विचार के लिए मुद्दा है।

3. प्रतिवादी अपीलार्थी-बैंक का कर्मचारी था।शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए, उनके खिलाफ निम्नलिखित आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थीः

क) बैंक के हितों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए सभी कदम उठाने में विफलता।

ख) पूर्ण निष्ठा, परिश्रम, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता।

ग) अधिकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय कार्य करना।"

4. आरोप विधिवत स्थापित होने पर, प्रतिवादी को 03.06.2004 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी का आदेश अंतिम हो गया।

5. इस बीच, प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि नैतिक अधमता से जुड़े सिद्ध कदाचार के कारण उपदान क्यों नहीं जब्त की जानी चाहिए।उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया गया और उपदान को आदेश दिनांकित 20.04.2004 द्वारा जब्त कर लिया गया।आदेश इस प्रकार हैः

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

"हम कारणदर्शक नोटिस नं. सीओःआईआरडीः654 दिनांक 30.01.2004, का उल्लेख करते हुए, आपके स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कि आपको देय उपदान को क्यों जब्त नहीं किया जाना चाहिए, आपके खिलाफ कदाचार साबित हुआ और आपके द्वारा उसमें स्पष्टीकरण दिनांक 26.02.2004 प्रस्तुत किया गया।

आपके खिलाफ साबित हुआ कदाचार नैतिक अधमता से जुड़े कृत्यों के बराबर है। इस संबंध में, उपरोक्त के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और इसलिए बैंक को स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए, उपदान अधिनियम, 1972 की धारा 4, उप-धारा 6 (बी) (ii) और बैंक उपदान नियमों की अनुसूची "ए" के खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने आपको देय उपदान राशि से 1,77,900/– रुपये की राशि जब्त करने का निर्णय लिया है।"(जोर दिया गया)

6. बर्खास्तगी और ज़ब्त करना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के विषय थे जिसके कारण विद्वान एकल न्यायाधीश का आपेक्षित निर्णय दिनांक 08.01.2016 अस्तित्व में आया।न्यायालय ने बर्खास्तगी में हस्तक्षेप नहीं किया; हालाँकि, यह माना गया कि प्रतिवादी उपदान का हकदार था क्योंकि बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। यह भी माना गया कि द्विदलीय समझौते के अनुसार, उपदान की ज़ब्ती की अनुमति केवल उस हद तक और केवल स्थिति में दी जाती सकती है जब बर्खास्तगी के कारण बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ हो।

7. न्यायालय के अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह विचार रखा कि धारा 4 (6) (ए) और (बी) को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और केवल तभी जब कदाचार के कारण बैंक को कोई नुकसान होता है, तो ही, नुकसान की सीमा तक ज़ब्ती की अनुमति है।इस प्रकार, व्यथित, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष है।

8. बैंक और प्रत्यर्थी-कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

9. अधिनियम की धारा 4, प्रासंगिक सीमा तक, इस प्रकार हैः

"4 उपदान का भुगतान- (1) किसी कर्मचारी को कम से कम पाँच वर्ष तक निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद उसकी नौकरी की समाप्ति पर उपदान का भुगतान किया जाएगा-

(क) उसकी सेवानिवृत्ति पर, या

(ख) अपनी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर, या

(ग) दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या अक्षमता पर।

बशर्ते कि पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी कर्मचारी की नौकरी की समाप्ति मृत्यु या अक्षमता के कारण होती हैः

बशर्ते कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसे देय उपदान का भुगतान उसके नामित व्यक्ति को या यदि कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो उसके उत्तराधिकारियों को किया जाएगा, और जहां ऐसा कोई नामित व्यक्ति या उत्तराधिकारी नाबालिग है, तो ऐसे नाबालिग का हिस्सा नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा किया जाएगा, जो इसे ऐसे नाबालिग के लाभ के लिए ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में निवेश करेगा, जो निर्धारित किया जाए, जब तक कि ऐसा नाबालिग बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अक्षमता का अर्थ है ऐसी अक्षमता जो किसी कर्मचारी को उस काम के लिए अक्षम करती है जो वह दुर्घटना या बीमारी से पहले करने में सक्षम था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता होती है।

XXX XXX XXX

(5) इस धारा की कोई भी बात नियोक्ता के साथ किसी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तें प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) किसी कर्मचारी की उपदान राशि, जिसकी सेवाएँ किसी कार्य के लिए समाप्त कर दी गई हैं, जानबूझकर चूक या लापरवाही से नियोक्ता की संपत्ति को कोई नुकसान या हानि या विनाश होता है, इस तरह से हुई क्षति या हानि की सीमा तक जब्त कर ली जाएगी।

(ख) किसी कर्मचारी को देय उपदान पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है -

(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को उसके दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण या उसकी ओर से हिंसा के किसी अन्य कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है, या

(ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया गया हो।"(जोर दिया गया)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

10. उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के बीच सूक्ष्म अंतर यह है कि पहली पूरी धारा का एक गैर-अस्थाई खंड है जबकि दूसरी केवल उप-धारा (1) के संबंध में है।दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 4 के तहत अन्य सभी उप-धाराओं पर उप-धारा (5) का प्रबल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 4 के तहत कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक कर्मचारी नियोक्ता के साथ किसी भी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तें प्राप्त करने का हकदार है।

11. अपीलार्थी-बैंक के मामले में, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उल्लेख किया गया है, बैंक में दिनांकित 19.08.1966 एक द्विदलीय समझौता प्रचलित है और उपदान की जब्ती से संबंधित खंड निम्नानुसार हैः

> 12. 2 कदाचार के कारण बर्खास्तगी के लिए उपदान को जब्त नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां इस तरह के कदाचार से बैंक को वित्तीय नुकसान होता है और उस मामले में केवल उस हद तक।"
>
> (जोर दिया गया)

12. अपीलार्थी-बैंक के लिए विद्वान अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि धारा 4 की उप-धारा (5), "किसी भी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तों का प्रावधान करते हुए", केवल उपदान की मात्रा से संबंधित है, न कि किसी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के तहत पात्रता से।हमें डर है कि इस समर्पण की सराहना नहीं की जा सकती है।कानून किसी भी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तों जिसका अर्थ है अनुबंध की सभी शर्तें का प्रावधान करता है। चुनाव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

पुरस्कार या समझौते या अनुबंध और क़ानून के बीच है, लेकिन दोनों में से आंशिक रूप से नहीं।

13. **<u>बीड जिला केंद्रीय सहकारी समिति बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2006) 8 एससीसी 514</u>** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) के तहत दिखाई देने वाली 'शर्तें' अभिव्यक्ति का अर्थ सामान्य रूप से अनुबंध के सभी शर्तों से होना चाहिए और यह कि कर्मचारी क़ानून और अनुबंध दोनों की सर्वोत्तम शर्तों का हकदार नहीं है।पैराग्राफ-14 इस प्रकार हैः

> "14. "कानून की व्याख्या के सुनहरे नियम" को लागू करते हुए, हमारे लिए यह प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर योजना की प्रकृति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए और साथ ही इस तथ्य पर भी कि पक्ष इसकी शर्तों पर सहमत थे।जब बेहतर शर्तों की पेशकश की जाती है, तो एक कर्मचारी इसे पैकेज के एक हिस्से के रूप में लेता है।वह इसके लिए स्वेच्छा से काम कर सकता है, वह नहीं भी कर सकता है। 1972 के अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) में श्रमिक के पक्ष में अधिकार का प्रावधान है।इस तरह के अधिकार का प्रयोग संबंधित कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।यह व्यक्तिगत कामगार का अधिकार है न कि सभी कामगारों का।जब "शर्तें" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, तो आम तौर पर इसका अर्थ "अनुबंध की सभी शर्तें" होना चाहिए। उपदान संदाय अधिनियम जैसे लाभकारी क़ानून की भी व्याख्या करते समय, हमारी राय है कि या तो अनुबंध को या क़ानून को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।अधिनियम के प्रावधानों में एक योजना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

की परिकल्पना की गई है।इसे अलग नहीं किया जा सका।1972 के अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) में यह विचार नहीं किया गया है कि कर्मचारी को अनुबंध की बेहतर शर्तों का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी, जबकि क़ानून के एक हिस्से के संबंध में विकल्प खुला रहेगा।कानून या समझौते के लाभकारी प्रावधानों को चुनने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, उसे उनमें से किसी एक का विकल्प चुनना होगा, न कि कानून की सर्वोत्तम शर्तों के साथ-साथ अनुबंध।उसके पास दोनों नहीं हो सकते।यदि ऐसी व्याख्या की जाती है, तो अधिनियम की भावना समाप्त हो जाएगी।.."

14. **वाई. के. सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य (2013)3 एसीसी 472** में, इस स्थिति को दोहराया गया है कि कर्मचारी को उपदान का लाभ उठाने के लिए दोनों के बीच एक विकल्प चुनना होगा और इस विकल्प को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) के तहत वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। पैराग्राफ-23 को उद्धृत करने के लिएः

"23. ऊपर दिए गए निष्कर्षों के आधार पर, हम वर्तमान विवाद को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उपदान अधिनियम की धारा 4 के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि एक कर्मचारी को उपदान का लाभ उठाने के लिए उपदान अधिनियम के अलावा किसी अन्य वैकल्पिक प्रावधान/साधन द्वारा शासित होने का विकल्प चुनने का अधिकार है।यदि कोई कर्मचारी ऐसा विकल्प चुनता है, तो उसे एक वैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात्, संबंधित कर्मचारी उपदान अधिनियम के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

अपनी पात्रता की तुलना में उक्त प्रावधान/साधन के तहत उपदान की बेहतर शर्तें प्राप्त करने का हकदार होगा। यह सुरक्षा उपदान अधिनियम की धारा 4 (5) के माध्यम से प्रदान की गई है।

15. यह कि अपीलार्थी-बैंक में द्विदलीय समझौता है, विवाद में नहीं है।यह भी विवाद में नहीं है कि समझौता केवल तभी ज़ब्त करने का प्रावधान करता है जब कदाचार के कारण बर्खास्तगी के कारण नुकसान होता है।बैंक के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि प्रतिवादी-कर्मचारी के कदाचार से बैंक को कोई वित्तीय नुकसान हुआ है, और इसलिए, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) का सहारा लेते हुए, ज़ब्ती का सहारा नहीं लिया जा सकता है।इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं कि प्रतिवादी-कर्मचारी द्विदलीय समझौते के संरक्षण का हकदार है।

16. उप-धारा (6) (ए) के तहत, उपदान को केवल बैंक को हुए नुकसान या नुकसान की सीमा तक ही जब्त किया जा सकता है।यदि कर्मचारी की बर्खास्तगी किसी भी कार्य या जानबूझकर चूक या लापरवाही के कारण नियोक्ता को कोई नुकसान या नुकसान या नियोक्ता से संबंधित संपत्ति के विनाश के लिए होती है, तो नुकसान को जब्त करके उपदान से वसूल किया जा सकता है।जबकि उप-धारा (6) के उप-खंड (बी) के तहत, उपदान की ज़ब्ती, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, दो स्थितियों के तहत अनुमत है-(i) किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी दंगा या अव्यवस्थित आचरण या उसकी ओर से हिंसा का कोई अन्य कार्य के मामले में।, (ii) यदि समाप्ति किसी ऐसे कार्य के लिए है जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करता है और अपराध कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

जाता है।इस प्रकार, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) का उप-खंड (ए) और उप-खंड (बी) अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग परिस्थितियों में काम करते हैं। उपखंड (ए) के तहत, कर्मचारी के कदाचार के कारण हुए नुकसान या नुकसान की सीमा तक ज़ब्ती की जाती है, जबकि उपखंड (बी) के तहत, पूरी तरह से या आंशिक रूप से पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में ज़ब्ती की अनुमति है। उपखंड (बी) या तो तब संचालित होता है जब समाप्ति कर्मचारी की ओर से (i) दंगापूर्ण या (ii) अव्यवस्थित या (iii) हिंसा के किसी अन्य कार्य के कारण होती है, और उप-धारा (6) (बी) के उप-खंड (ii) के तहत जब समाप्ति किसी ऐसे कार्य के कारण होती है जो रोजगार के दौरान किए गए नैतिक पतन से जुड़े अपराध का गठन करता है।

17. 'अपराध' को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "कोई भी कार्य या चूक जो उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय है।"

18. यद्यपि अपीलार्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी-कर्मचारी के आचरण में, जिससे विभागीय कार्यवाही में आरोप तय होते हैं, नैतिक अधमता शामिल होती है, हमें डर है कि इस तर्क की सराहना नहीं की जा सकती है।यह नैतिक अधमता वाले व्यक्ति का आचरण नहीं है जो उपदान को जब्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन आचरण या कार्य नैतिक अधमता वाले अपराध का गठन करना चाहिए।अपराध होने के लिए, इस कार्य को कानून के तहत दंडनीय बनाया जाना चाहिए।यह पूरी तरह से आपराधिक कानून के दायरे में है।यह तय करना बैंक का काम नहीं है कि कोई अपराध किया गया है या नहीं।यह न्यायालय के लिए है।अपीलार्थी-बैंक द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा, बैंक ने न तो प्राथमिकी दर्ज करके या आपराधिक शिकायत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

दर्ज करके आपराधिक कानून को गति दी है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि बर्खास्तगी का कारण बनने वाला कदाचार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है।अधिनियम की उप-धारा (6) (बी) (ii) के तहत, उपदान को जब्त करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी किसी ऐसे दुराचार के लिए होती है जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करता है, और तदनुसार सक्षम क्षेत्राधिकार की न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है।

19. **जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य (2007) 1 एससीसी 663** में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उप-धारा (6) (बी) (ii) के तहत ही उपदान को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त करने की अनुमति है। यदि समाप्ति दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण या हिंसा के किसी अन्य कार्य के कारण या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करने वाले किसी कार्य के कारण है, जब उसे दोषी ठहराया जाता है।पैराग्राफ-13 को उद्धृत करने के लिएः

> "13. इस अधिनियम में उपदान के भुगतान के लिए एक करीबी योजना का प्रावधान है।यह एक पूर्ण संहिता है जिसमें उपदान के लिए एक योजना के आवश्यक प्रावधानों को शामिल करते हुए विस्तृत प्रावधान हैं।यह न केवल उपदान के भुगतान का अधिकार पैदा करता है, बल्कि इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों के साथ-साथ उन शर्तों को भी निर्धारित करता है जिन पर उसे इससे वंचित किया जा सकता है।जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) में उसकी उप-धारा (1) की तुलना में एक गैर-अवरोधक खंड है।चूंकि इसके कारण, किसी अर्जित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

या निहित अधिकार को छीनने की कोशिश की जाती है, इसलिए उसके तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।इसलिए, उसमें निहित प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के खंड (ए) में किसी भी कार्य, जानबूझकर चूक या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की बात की गई है।हालांकि, ज़ब्त की जाने वाली राशि केवल नुकसान या नुकसान की सीमा तक ही होगी।अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने नुकसान या क्षति की मात्रा निर्धारित नहीं की है।यह नहीं पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 को हुई क्षति या हानि अपीलार्थी को देय उपदान की राशि से अधिक थी।अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के खंड (बी) में उस स्थिति में उपदान की पूरी राशि या भाग को जब्त करने का भी प्रावधान है जब उसकी सेवाओं को उसके दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण या उसकी ओर से हिंसा के किसी अन्य कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया था या यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।उसमें निर्धारित शर्तें भी पूरी नहीं होती हैं।"

20. वर्तमान मामले में, कदाचार के लिए प्रतिवादी की कोई दोषसिद्धि नहीं है जो बैंक के अनुसार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है।इसलिए, आदेश दिनांकित 20.04.2004 में बताए गए आधार पर उपदान को जब्त करने का कोई औचित्य नहीं है कि "आपके खिलाफ साबित हुआ कदाचार नैतिक अधमता से जुड़े कार्यों के बराबर है"। अतिरेक के जोखिम पर, हम कह सकते हैं कि क़ानून की आवश्यकता नैतिक अधमता से जुड़े कार्यों के कदाचार का प्रमाण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court

नहीं है, लेकिन कृत्यों को नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करना चाहिए और इस तरह के अपराध को न्यायालय में विधिवत स्थापित किया जाना चाहिए।

21. यह भी कि यह अधिनियम नियोक्ता द्वारा बनाए गए उपदान के भुगतान पर नियमों को प्रभावित करना चाहिए, जैसा कि जसवंत सिंह गिल (उपरोक्त) के अनुसार तय स्थिति है। इसलिए, अपीलार्थी उपदान से इनकार करने के लिए अधिनियम की अनदेखी करते हुए अपने स्वयं के नियमों का सहारा नहीं ले सकता है।

22. संक्षेप में, सेवा से बर्खास्तगी पर उपदान की ज़ब्ती स्वचालित नहीं है; यह उपदान संदाय भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धाराओं (5) और (6) के अधीन है।

23. इस प्रकार, यद्यपि विभिन्न कारणों से भी, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल अपील स्थगित।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar (A/A0430/2020)
Advocate Allahabad High Court